संपादकीय

किसान इसे देख रहे हैं:

लियो टॉलस्टॉय, जो एक किसान थे, उन्होंने ग्रामीण रूस के बारे में कहा था 'सभी खुश परिवार एक ही तरह के होते हैं, प्रत्येक दुखी परिवार अपनी–अपनी तरह से दुखी होता है'। यदि आज उन्हें ग्रामीण भारत का अवलोकन करना होता तो वे निराश और दुखी रहने के अलग–अलग कारणों की एक ही जड़ बताते, वह है लापरवाह व उदास कृषि नीतियाँ।

सरकार ने सबसे पहले गरीबी की आर्थिक सीमा रेखा को घटाया ताकि सिद्ध कर सके कि गरीबी कम हो चुकी है। अगला कदम उसने सकल घरेलू उत्पाद की परिभाषा तैयार करके प्रगति या वृद्धि सिद्ध कर दी। इसके लिऐ उन्होंने किसानों की आत्महत्या के आंकड़ों को भी नहीं छोड़ा। इतना सब नाटक या जुगाड़ करने के पश्चात भी जब नीति निर्माता अपने वर्षों की मुर्खता का औचित्य नहीं दे पाऐ तो उन्होंने गरीबी मापने का पैमाना ही बदल दिया। जब पैमाना बदलने पर भी सफलता नहीं मिली तो उन्होंने आंकडों को कूड़े घर में ड़ाल दिया। ऐसा लगता है कि आर्थिक सहायता ना देने के लिऐ वे किसान की परिभाषा भी बदल सकते हैं, किंतु वे वास्तविक स्थिति को नहीं बदल सकते।

अधिकतम कृषि आर्थिक सहायता अधिक फसल उगाने वाले क्षेत्रों के किसान ले रहे हैं, लेकिन भारत के नक्शे पर यदि प्रत्येक किसान की आत्महत्या का निशान लगाया जाऐ तो उसमें से अधिकतम भाग उन क्षेत्रों का होगा जहां पर किसान वर्षा पर निर्भर हैं। किसानों की आत्महत्या के लिऐ कई बेहुदे और निंदनीय (नपुंसकता, बांझपन और प्रेम प्रसंग आदि कुछ हैं) कारणों का उल्लेख किया जाता है, किंतु सत्य यह है कि किसानों की आत्महत्याऐं बढ़ती जा रही हैं। किसानों की आत्महत्या के लिऐ प्रमुख कारण हैं ; भरोसे योग्य फसल और मूल्य बीमा, बीज आदि का ना होना और अत्यधिक कीटनाशक एवम् उर्वरकों का उपयोग, कृषि सलाह सेवाओं और संस्थागत ऋण की कमी, सूखा और मौसम में अत्यधिक बदलाव इत्यादि। वास्तव में, इस प्रकार के कई पहलुओं और सामाजिक ढांचे की समाप्ति के कारण किसानों में आत्महत्या की प्रवृति बढ़ रही है। किसानों की आत्महत्याओं के अधिकतम मामलों में गरीबी की प्रमुख भूमिका होती है। हालांकि किसानों की आत्महत्याओं में और गरीबी के लिऐ भारत की निर्यात नीति की भूमिका के बारे में कभी वार्तालाप नहीं किया गया, यह कुछ उचित नहीं लगता, किंतु, यह सच है और इसे सिद्ध करना कठिन नहीं यदि इसके धागों या आंकड़ों को वास्तविक समस्याओं के साथ मिलाकर जांच की जाऐ।

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिंसों के भाव परिवर्तित होते रहते हैं। प्रत्येक वर्ष जिंसों के मूल्य बढ़ते हैं लेकिन कोई ही जिंस ऐसी होती है जो कुछ वर्षों में किसान को लाभकारी मूल्य दे पाती है। जब भी मूल्य बढ़ते हैं तो सरकारें अनिवार्य रूप से उस जिंस के निर्यात पर प्रतिबंध लगा देती है और जो किसान इसका उत्पादन करते हैं उन्हें मजबूर होकर कम मूल्य पर इसकी बिक्री करनी पड़ती है। वर्ष 2007 में 4 वर्ष के लिऐ गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था और उस अवधि में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं के भाव लगभग 440 अमरीकी डॉलर प्रति टन तक थे जबकि उस दौरान घरेलू बाजार में इसका मूल्य केवल 276 अमरीकी डॉलर प्रति टन तक रहा। चावल के निर्यात पर 2008 में प्रतिबंध लगाया गया था। सरकार ने सितंबर 2011 में गैर–बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दी थी। प्रतिबंध के पहले ही वर्ष में भारतीय मूल्य लगभग 310 अमरीकी डॉलर प्रति टन तक रहे जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसके औसत मासिक मूल्य दुगने से भी अधिक लगभग 762 अमरीकी डॉलर प्रति टन तक थे। सरकार अनाज से गोदाम भर रही है और लगभग 20,000 करोड़ रूपऐ के अतिरिक्त वार्षिक राजस्व की भी

हानि उठाती है, जबकि सरकार के लिऐ अच्छा होता कि वह उस अवधि में निर्यात पर अनाज टैक्स लगाकर राजस्व अर्जित करती।

निष्कर्ष या स्थिति को समझना कठिन नहीं है। यदि इन वर्षों में ये प्रतिबंध नहीं लगाऐ जाते तो गेहूं और चावल उगाने वाले प्रत्येक किसान को औसतन 4 गुना अधिक लाभ मिल जाता और शायद गेहूं, चावल उगाने वाला कोई भी किसान ऋणी नहीं होता, न ही आत्महत्या करता। जब जिंसों के भाव बढ़ते हैं तो किसानों को लाभ कमाने का अवसर मिलता है और वे प्राप्त राशि से ऋण का भुगतान और अपने सामाजिक दायित्वों को भली भांति निभा सकते हैं। किंतु, निर्यात प्रतिबंध के कारण वे अधिक मूल्य का लाभ नहीं कमा पाते इस कारण वे पुराना ऋण नहीं चुका पाते और साहूकारों को ब्याज पर ब्याज भी चुकाना पड़ता है। आगामी वर्षों में जब मौसम और जलवायु से उत्पादन प्रभावित होता है, या मूल्य अस्थिर (पिछले वर्ष उत्पादन और मूल्य दोनों ही अस्थिर रहे) होते हैं तो वित्तीय भार बढ़ता जाता है। इस वर्तमान संकट के कारण ही किसानों की आत्महत्या करने की घटनाऐं बढ़ रही हैं। प्रतिपूर्ति पैकेज देने से नीतियों की कमियों को दूर नहीं किया जा सकता।

प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन जब प्रतिबंध के कारण भाव गिरते हैं तो, जैसे इस वर्ष आलू के साथ हुआ, इस स्थिति में सरकार हुदनी की तरह गायब हो जाती है और किसानों को उनके हालात पर छोड़ दिया जाता है। निर्यात प्रतिबंधों पर विवेकपूर्ण निर्णय लेना अनिवार्य है। सभी भली भांति जानते हैं कि अनाज को अन्य जिंसों के समतुल्य नहीं रखा जा सकता। अनाज की कमी के समय मूल्य बढ़ जाते हैं और ऐसी स्थिति में अनाज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से सरकार को तब भी हस्तक्षेप करना चाहिऐ जब किसान मजबूरी और सस्ती दर पर अपनी फस्लें बेचते हैं। किंतु, सरकार से उचित रूप से ध्यान देने की हमारी मांग की व्याख्या ऐसे की जाती है जैसे ज्यादा खाने या अधिक मांगने वाले बच्चे की शिकायत की जाती है। हालांकि गैर खाद्य वस्तुओं जैसे कपास के निर्यात पर प्रतिबंध को उचित ठहराया जा सकता है।

वर्ष 2010–11 में कपास के मूल्य रू. 7,000/– तक गऐ थे। ऐसे में सरकार ने हस्तक्षेप किया और जैसा वह अधिकतम समय अपनी ओर से बहुत अच्छा करती है वही किया, अर्थात गड़बड़, अवयव्स्था की स्थिति उत्पन कर दी क्योंकि केवल ड़ेढ़ वर्ष में कपास निर्यात अधिसूचना में 17 बार परिवर्तन किया ताकि मूल्य कम हो सकें और व्यावहारिक रूप से निर्यात होने ही नहीं दिया। पिछले कई वर्षों से किसानों को अरबों रूपऐ की हानि हो चुकी है और कई औरतें विधवा हो चुकी हैं। जब चीन, जो कई वर्षों से कपास का सबसे बढ़ा आयातक देश था, उसने कपास आयात पर प्रतिबंध लगा दिया तो कपास के उच्चतम मूल्य गिरकर लगभग रू. 4,000/– प्रति क्विंटल हो गऐ। इसके बाद के वर्षों में भारत के कपास उत्पादकों को लाभ कमाने का अवसर ही नहीं मिल पाया। अफवाह तो यह भी है कि इस प्रकार की विवेकपूर्ण शक्ति का उपयोग वस्त्र उद्योग की पहल पर किया गया है जिसके लिऐ कुछ लोगों की मुठ्ठी गरम अवश्य की गई होगी। वास्तव में, असक्षम वस्त्र उद्योग को आर्थिक सहायता किसानों की जिंदगी की कीमत पर दी जा रही है। विदर्भ में किसानों की आत्महत्याओं का प्रमुख कारण वस्त्र और वाणिज्य मंत्रालयों के नीतिगत निर्णय हैं। यह समझने के लिऐ किसी औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं कि किसानों की गरीबी, ऋण न चुकाना, संकट, निराशा एवं आत्महत्याओं और भारत सरकार की आयात निर्यात नीतियों के बीच में क्या संबंध है।

इस अंक से आगे हम आपको हमारे द्वारा आयोजित किऐ जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण नियमित रूप से भेजेंगे।

'ग्रामीण संकट' शीर्षक पर आयोजित सम्मेलन का सार

डॉ० जितेन्द्र कुमार बजाज – निदेशक, सैंटर फॉर पॉलिसी स्टड़ीज, नई दिल्ली

महान हिंदुओं के पौराणिक ग्रंथों – रामायण से महाभारत तक – में 'अदैव मैत्रिक' का उल्लेख किया गया है जिसका अर्थ है कि राजा की प्रमुख जिम्मेवारियों में एक यह सुनिशिचित करना है कि खेती भगवान के भरोसे अर्थात् प्रकृति पर निर्भर नहीं रहनी चाहिऐ। उदाहरण के लिऐ रामायण में लिखा हुआ है कि जब भरत राजा राम से मिलने जाते हैं तो राम अपने राज्य कौशल की स्थिति के बारे में पूछते हैं और कहते हैं कि उनके बैलों का क्या हाल है ? वे यह भी पूछते हैं कि क्या हमारे कुओं और तालाबों में पर्याप्त पानी है ? अब क्या कृषि भगवान पर निर्भर हो चुकी है ? महाभारत में भी इसी प्रकार की घटनाओं का उल्लेख, है जिसमें युधिष्ठिर महाराज अपने राज्य की खेती की चिंता करते हुऐ नजर आते हैं। इस प्रकार भारत ऐसा देश है जो सदा मॉनसून के भरोसे था और है जिसका लंबा इतिहास है।

मैं कुछ आंकड़े देकर कृषि संकट और निराशा के बारे में वार्तालाप करने जा रहा हूँ। हमारी प्रति व्यक्ति अनाज की उत्पादकता 200 कि.ग्रा. प्रति व्यक्ति से भी कम है और यदि इसमें से खराब फसल निकाल दी जाऐ तो यह और भी कम हो जाऐगी। कृषि अर्थव्यवस्था में यह आंकडे नियमित रूप से दिखाऐ जाते हैं। उस समय जब अंग्रेज भारत में आऐ थे तब से लेकर अब तक ये आंकड़े नहीं बदले। इनका एक इतिहास है। वर्ष 1890 में भारत में अंग्रेजी सरकार ने एक अकाल आयोग की स्थापना की थी। इस आयोग ने कुछ तथ्यों को उजागर किया था। इस व्यापक रिपोर्ट में आयोग ने प्रशासन को कहा था कि वे यह सुनिशिचित करें की प्रत्येक वर्ष प्रत्येक व्यक्ति को 200 कि.ग्रा. अनाज मिलता रहे। इससे यह सुनिशिचित तो नहीं होगा कि वे स्वस्थ रहेंगे और भरपूर खाऐंगे लेकिन ऐसा करने से वह भूखे नहीं मरेंगे। स्पष्ट है कि यह आदेश अकाल और भूख से मरने वाले लोगों को बचाने के लिऐ दिया गया था न की उनका कुपोषण दूर करने या अच्छा स्वास्थ्य सुनिशिचित करने के लिऐ। मशहूर अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने भी उल्लेख किया है कि लोकतांत्रिक समाज में लोगों को भूख से मरने नहीं दिया जाना चाहिऐ, तो उन्हें भूखा रखना कैसे सहन किया जा सकता है। उन्होंने कुपोषण और भूख से भी मरने वालों के कुछ आंकड़ें प्रस्तुत किऐ हैं कि प्रत्येक 10 साल में उतने लोग भूख और कुपोषण से मरते हैं जितने चीन में अनर्थकारी सांस्कृतिक क्रांति लाने में मरे थे।

200 कि.ग्रा. प्रति व्यक्ति के आंकड़े को देखते हुऐ कोई भी अर्थशास्त्री यह निष्कर्ष निकाल लेगा कि इस देश में कृषि क्षेत्र घोर संकट में है। यह सुखद नहीं है कि खाद्य एवम् कृषि संघ (ऐफ.ऐ.ओ.) प्रत्येक वर्ष आंकड़े दर्शाता है कि विश्व के कुल देशों में भारत सबसे भूखा देश है। मुझे कुछ ऐसे व्यक्तियों से मिलने का मौका मिला है जो कहते हैं कि भारत में पिछले कई वर्षों से कुपोषण है क्योंकि उनकी अनाज की आवश्यकता वास्तव में कम हुई है – उनके शरीर की पचाने की शक्ति नीचे जा चुकी है। इन आंकड़ों में ग्रामीण संकट और निराशा की झलक आती है। यह एक नीतिजनक चिंता का विषय है न की राजनैतिक प्रश्न। सभी राजनैतिक दलों ने शायद यह निर्णय और समान विचारधारा बना ली है कि कृषि क्षेत्र उस सीमा से अधिक प्रगति न करे जो प्रति व्यक्ति 200 कि.ग्रा. वार्षिक अनाज उपलब्ध कराने की सीमा थी। इसमें यदि कोई परिवर्तन करना है तो नीति निर्माताओं को सोच बदलने की आवश्यकता है।

जब मैंने देश के पश्चिमी भाग की यात्रा की तो मैंने महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में देखा कि किसान एक फसल से दूसरी फसल उगाते हैं जैसे कपास को छोड़कर सोयाबीन का उत्पादन करना। देश के पूर्वी भाग, जो प्राकृतिक परिस्थितियों के साथ खेती के लिऐ अनुकूल स्थान है, वहां लोगों में आत्म–शक्ति व दृढ़ता की कमी है, पश्चिमी

भाग में यह देखने को मिला कि वहां भूमि पर ही संकट है क्योंकि वहां खेती के लिऐ जल उपलब्ध कराने हेतु ईमानदारी से कोई प्रयास नहीं किया। गांव दर गांव में मैंने स्पष्ट रूप से देखा कि वहां निराशा और उदासीनता एक आम बात बन चुकी है। जब मैंने एक व्यक्ति, जिसके बेटे ने आत्महत्या कर ली थी, से पूछा कि आपके बेटे ने इतना उद्दंड़ और कड़ा रूख क्यों अपनाया तो उसने साधारण रूप से कहा 'वह पागल हो गया था, ऋण ने उसे बहुत चिंता में डाला हुआ था, जबकि मैं उसे कहता था कि किसान ऋण से ही जीवित है और फिर भी मैं पूरा ऋण चुका दूँगा, तू चिंता मत कर'। जब मैं समझ नहीं पाया कि किसान कपास के स्थान पर सोयाबीन क्यों उगा रहे हैं, जबकि कपास का उत्पादन अच्छा हो रहा था, तो किसान पटेल ने मुझे स्पष्ट किया। उसने कहा कि किसान वास्तविक कारण को जल्दी मान और समझ लेते हैं – कपास के बीज खरीदना बहुत महंगा हो गया था और किसानों की पहुंच से बाहर था। उसकी तुलना में सोयाबीन के उत्पादन पर खर्चा न के बराबर था, इस कारण किसान सस्ता विकल्प अपना लेता है।

किंतु, यह भी सत्य है कि कृषि में निराशा का कारण प्रकृति नहीं है। किसानों के प्रयासों और कुछ सरकारी उपायों से स्थिति बदल सकती है और खेती के लिऐ अलग–अलग परिस्थितियां हैं। उदाहरण के लिऐ उत्तर–प्रदेश के बुंदेलखंड़ क्षेत्र के उत्तरी भाग के दतिया जिला में जब बीतुल नदी जो झांसी के साथ बहती है, से नहर का जल उपलब्ध करवा दिया गया तो वहां भरपूर उत्पादन हुआ। मध्य–प्रदेश में भी राज्य सरकार द्वारा की गई पहल से पिछले पांच वर्षों में कृषि उत्पादन दर में वृद्धि दर्ज की है। इस वर्ष में भी 22 प्रतिशत वृद्धि दर्ज का महत्वपूर्ण आंकडा है। मध्य–प्रदेश के दक्षिणी भाग में झबुआ, एक जनजाति जिला, में भी कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, क्योंकि सरकार ने सिंचाई परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया और इसमें पूरा सहयोग दिया।

पिछले सम्मेलनः

'ग्रामीण संकट' पर सम्मेलन
नई दिल्ली, 16 जून, 2015
सम्मेलन में ग्रामीण संकट संबंधी विभिन्न पहलुओं पर विचार–विमर्श और तर्क–वितर्क प्रस्तुत किऐ गऐ।

निम्नलिखित वक्ताओं/पैनेलिस्ट ने भाग लियाः

- श्री जयदीप हारदीकर, विशेष संवाददाता, द टैलिग्राफ
- श्री नितिन सेठी, सह–संपादक, बिजनैस स्टैन्डर्ड़
- श्री वी.ऐम. सिंह, संयोजक, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन
- डॉ० बिसवजीत धर, प्रौफेसर ऑफ ईकॉनोमिक्स, जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी
- डॉ० जे. के. बजाज, निदेशक, सैंटर फॉर पॉलिसिज स्टड़ीज

'डेरी कृषि' पर सम्मेलन
नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2015
सम्मेलन में डेरी कृषि संबंधी विभिन्न पहलुओं पर विचार–विमर्श और तर्क–वितर्क प्रस्तुत किऐ गऐ।

निम्नलिखित वक्ताओं/पैनेलिस्ट ने भाग लियाः

- श्री टी. नंद कुमार, अध्यक्ष, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (ऐन.डी.डी.बी.)
- श्री आशीष बहुगुना, अध्यक्ष, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवम् मानक प्राधिकरण (ऐफ.ऐस.ऐस.ऐ.आई.)
- डॉ० ऐ.के. श्रीवास्तव, निदेशक, राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्था (ऐन.डी.आर.आई.)
- श्री आर.ऐस. सोढ़ी, प्रबंध निदेशक, गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ लि. (अमुल)
- श्री मंजीत सिंह बरार, प्रबंध निदेशक, मिल्कफेड पंजाब
- श्री रमेश रावल, कार्यकारी उपाध्यक्ष, बैफ डेवलपमैंट रिसर्च फाउंडेशन
- श्री प्रताप ऐस. बीरथल, प्रमुख वैज्ञानिक, राष्ट्रीय कृषि अर्थव्यवस्था एवम् नीति अनुसंधान केन्द्र
- श्री धरम सिंह वर्मा, अध्यक्ष, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
- श्रीमति वैशाली बाला साहब नागवाडे, अध्यक्षा, महाराष्ट्र राज्य सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
- श्री बलजीत सिंह रेधु, प्रबंध निदेशक, लक्ष्य डेरी
- श्री राम चन्द्र चौधरी, अध्यक्ष, अजमेर डेरी
- श्री हरीश राय ढांडा, डेरी फॉर्म मालिक
- डॉ० बी.ऐस नेगी, निदेशक, ओ.ई.पी.ऐल.
- डॉ० ऐम.आर. गर्ग, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड
- डॉ० जी.के. शर्मा, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड
- श्री सुनील बक्शी, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड
- डॉ० के.आर. त्रिवेदी, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड